प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** के माध्यम से **संविधान की प्रस्तावना** में **समाजवादी** और **पंथनिरपेक्ष** शब्दों को शामिल करने को प्राभावी बनाए रखा।

- **अनुच्छेद 368** के तहत संसद **प्रस्तावना** सहित संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन कर सकती है।
- **धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार** (अनुच्छेद 25-28) के तहत अपनी पसंद के धर्म का **प्रचार, अभ्यास एवं प्रसार करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता** मिलती है।
- **पंथनिरपेक्षता को** भारत की अद्वितीय विशेषता के रूप में बरकरार रखा गया (जिसमें राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता हो), जिसमें ***????? ??????? ????, 1994*** ?? संदर्भ दिया गया।
    - संविधान के **अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत धार्मिक आधार** पर नागरिकों के विरुद्ध **भेदभाव को प्रतिबंधित** किया गया है। इसके साथ ही विधि के समान संरक्षण तथा लोक नियोजन में समान अवसर की गारंटी प्रदान की गई है।
    - **अनुच्छेद 44** सरकार को **समान नागरिक संहिता** के लिये प्रयास करने की अनुमति देता है और यह प्रस्तावना के पंथनिरपेक्ष शब्द द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
- **भारत में प्रचलित समाजवाद का उद्देश्य** नागरिकों के **आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान** के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
    - **इससे निजी उद्यमशीलता** एवं व्यवसाय करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जिसे **अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मूल अधिकार** माना गया है।

और पढ़ें: संविधान के अभिन्न अंग के रूप में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्षता

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/socialist-and-secular-in-preamble